

फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

एस्पायर होम फाईनेंस कॉर्पोरेशन लि०, शाखा उदयपुर।

- प्रार्थी/प्रतिभूति लेनदार

बनाम

- 1- श्री राजेश जोशी (ऋणी)
पता- (1) कालिन्दी विहार, अभिनन्दन वाटिका के पीछे, कांकरोली, राजसमन्द
(2) माँ वैष्णो देवी मार्बल, गाँव- बिन्ड कुंवारिया, जिला राजसमन्द
(3) प्लॉट नं० 91ए, अरिहन्त नगर, मोही रोड़ गाँव आसोटिया, राजसमन्द
- 2- श्रीमती माया देवी (सह-ऋणी)
पता- कालिन्दी विहार, अभिनन्दन वाटिका के पीछे, कांकरोली, राजसमन्द

-ऋणी/सहऋणी

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र सिक्वूटराईजेशन

पत्रावली संख्या 07/2019

| क्रमांक | कार्यवाहिक विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं |
|-------------------|---|--|
| दिनांक 18.03.2019 | <p>प्रार्थी के अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी एस्पायर होम फाईनेंस कॉर्पोरेशन लि०, शाखा उदयपुर ने दिनांक: 28.02.2019 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया है जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>प्रार्थी एस्पायर होम फाईनेंस कॉर्पोरेशन लि०, शाखा उदयपुर से दिनांक: 08.11.2010 को विपक्षी 1- श्री राजेश जोशी (ऋणी) पता- (1) कालिन्दी विहार, अभिनन्दन वाटिका के पीछे, कांकरोली, राजसमन्द, (2) माँ वैष्णो देवी मार्बल, गाँव- बिन्ड कुंवारिया, जिला राजसमन्द, (3) प्लॉट नं० 91ए, अरिहन्त नगर, मोही रोड़ गाँव आसोटिया, राजसमन्द व सह-ऋणी 2- श्रीमती माया देवी (सह-ऋणी), पता- कालिन्दी विहार, अभिनन्दन वाटिका के पीछे, कांकरोली, राजसमन्द को दिनांक 25.09.2017 को 11,89,337/-का ऋण स्वीकृत किया था इस हेतु ऋणी/प्रोपराईटर/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अंतर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है। बंधक अचल सम्पत्ति प्लॉट नं० 91 ए, अरिहन्त नगर, मोही रोड़ गाँव आसोटिया, राजसमन्द में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्गफिट है जो कि श्रीमती मायादेवी पत्नि श्री राजेश कुमार जोशी के नाम से है जिसके पड़ोस निम्न है-: पूर्व- प्लॉट सं० 91बी, पश्चिम- रास्ता 40 फीट चौड़ा, उत्तर- प्लॉट सं० 90, दक्षिण- रास्ता 40 फीट चौड़ा। ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी/जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से साम्यबंधक किया है। प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चुक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक/वित्तीय संस्था के द्वारा नियमानुसार</p> | |





दिनांक 31.07.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। बैंक/वित्तीय संस्था के प्रधिकृत अधिकारी ने दिनांक 18.08.2018 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस भेज कर के 60 दिन में ऋण राशि रूपये 12,46,584/- (अक्षरे रूपये बारह लाख छियालीस हजार पाँच सौ चौरासी मात्र) दिनांक 18.08.2018 तक इस दिनांक के बाद की ब्याज व अतिरिक्त खर्चे, लागत इत्यादि करने के लिये मांग की है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूत आस्ति को अपने कब्जे या नियन्त्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार (बैंक/वित्तीय संस्था) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। सम्पत्ति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है। अचल सम्पत्ति जो कि आपके क्षेत्राधिकार में है, का पता निम्न है बंधक अचल सम्पत्ति :- प्लॉट नं० 91 ए, अरिहन्त नगर, मोही रोड़ गाँव आसोटिया, राजसमन्द में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्गफिट है जो कि श्रीमती मायादेवी पत्नि श्री राजेश कुमार जोशी के नाम से है जिसके पड़ोस निम्न है:- पूर्व- प्लॉट सं० 91बी, पश्चिम- रास्ता 40 फीट चौड़ा, उत्तर- प्लॉट सं० 90, दक्षिण- रास्ता 40 फीट चौड़ा। धारा 14 में अति महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है जिसके अनुसार जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन की दिनांक से 30 दिनों के अन्दर आदेश पारित करना है, यदि कोई आदेश 30 दिनों के अन्दर पारित नहीं किया जाता है तो विलम्ब के लिए कारण दर्ज करने के पश्चात आदेश 60 दिनों के अन्दर दिया जावेगा यह संशोधन भारत के राजपत्र में दिनांक 16.08.2016 को प्रकाशित किया गया है। इस सम्पत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय/अधिकरण के द्वारा कोई रोक नहीं है।

मा० राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं० 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता है विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांक: 18.08.2018 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए०डी० की रसीदे प्रस्तुत की गयी एवं अखबार में दिनांक: 16.09.2018 को नोटिस का प्रकाशन करवाया गया जिसकी प्रति पेश की गयी।

आवेदक बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ-पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी एस्पायर होम फाईनेंस कॉर्पोरेशन लि०, शाखा उदयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार विपक्षी ऋणी/प्रोपराईटर/जमानतदार रिहायशी प्लॉट नं० 91 ए, अरिहन्त नगर, मोही रोड़ गाँव आसोटिया, राजसमन्द में स्थित है

जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्गफिट है जो कि श्रीमती मायादेवी पत्नि श्री राजेश कुमार जोशी के नाम से है जिसके पड़ोस निम्न है-: पूर्व- प्लॉट सं0 91बी, पश्चिम- राजस्ता 40 फीट चौड़ा, उत्तर- प्लॉट सं0 90, दक्षिण- रास्ता 40 फीट चौड़ा है।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी एस्पायर होम फाईनेंस कॉर्पोरेशन लि0, शाखा उदयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी एस्पायर होम फाईनेंस कॉर्पोरेशन लि0, शाखा उदयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(A-1)

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

